

उच्च न्यायालय, पटना में

1960 के 1274 और 1275 के विविध न्यायिक मामलों में

निर्णय दिनांक 05.10.1963 को लिए गये

याचिकाकर्तागण: आयकर आयुक्त, बिहार

बनाम्

उत्तरदाता: रमनिक लाल कोठारी

आयकर अधिनियम्, 1961 - धारा 10(2)

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने आयकर अधिनियम् की धारा 66(1) के तहत उच्च न्यायालय की राय के किये कानून का निम्नलिखित प्रश्न प्रस्तुत किया है:-

“ क्या निर्धारिती(जो अपना खुद का स्वतंत्र व्यवसाय नहीं कर रहा था) द्वारा विभिन्न फर्मों से आय अर्जित करने में किये गये खर्च, जिनमें वह भागीदार था, कटौती के रूप में कानूनी रूप से स्वीकार्य है?”

निर्णित किया गया कि उचित मामलों में भागीदार के लिये कटौती का दावा करने का अधिकार होगा बशर्ते वह कर प्राधिकरण को संतुष्ट करें कि इस तरह की कटौती एक आवश्यक व्यय का प्रतिनिधित्व करती है, जो उसे कर के अधीन होने वाले लाभ अर्जित करने में सक्षम बनाने के लिये किया जा रहा है।

बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले जैसे शांति कुमार नरोत्तम मोरारजी बनाम आयकर आयुक्त, तथा आयकर आयुक्त बनाम न्यू दिग्विजय सिंह टिन फैक्ट्री पर भरोसा किया गया।

निर्धारिती के पक्ष में प्रश्न का उत्तर दिया गया।

उच्च न्यायालय, पटना में

1960 के 1274 और 1275 के विविध न्यायिक मामलों में

निर्णय दिनांक 05.10.1963 को लिए गये

याचिकाकर्तागण: आयकर आयुक्त, बिहार

बनाम्

उत्तरदाता: रमनिक लाल कोठारी

माननीय न्यायाधीशगण/कोरम:

वैद्यनाथियर रामास्वामी, एन. एल. उन्तवालिया और एन. एल. उन्तवालिया, न्यायाधीशगण

निर्णय

इस मामले में निर्धारिती को एक व्यक्ति की स्थिति में कर के लिए निर्धारित किया गया था। उनका अपने का कोई स्वतंत्र व्यवसाय नहीं था, लेकिन वे विभिन्न फर्मों से आय प्राप्त कर रहे थे, जिनमें वे भागीदार थे। निर्धारण वर्ष 1955-56 के लिए निर्धारिती ने रु. 77, 027 की घोषणा और निर्धारण वर्ष 1956-57 के लिए निर्धारिती ने रु. 53, 340 की घोषणा उन चार फर्मों के संबंध में की जिनमें वे भागीदार थे। इन शेयर आयों के संपेक्षय में निर्धारिती ने रु. 12,283 पहले वर्ष में और रु. 19,380 दूसरे वर्ष में खर्चों का दावा किया। खर्चों की इन दोनों राशियों में पहले वर्ष में रु. 1,935 के ब्याज की मदें शामिल थीं। और दूसरे वर्ष में रु. 1,956 की ब्याज की राशियाँ थी। इन राशियों का भुगतान निर्धारिती द्वारा विरजी एंड कंपनी नामक बैंक को किया गया था, जिससे निर्धारिती ने साझेदारी फर्मों के वित्तपोषण के लिए धन उधार लिया था। ब्याज की इन राशियों को छोड़कर आयकर अधिकारी ने अन्य खर्चों की अनुमति नहीं दी। आयकर अधिकारी के आदेश की पुष्टि

अपीलीय सहायक आयुक्त ने अपील में की थी। निर्धारिती ने इस मामले को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दूसरी अपील में उठाया, जिसमें कहा गया था कि साझेदारी से अर्जित लाभ और नफा पर निर्धारिती के हाथों में व्यावसायिक आय के रूप में कर लगाया जाना था, जो आयकर अधिनियम की धारा 10 (2) के तहत अनुमत सभी कटौती का दावा करने का हकदार था। न्यायाधिकरण ने तदनुसार आदेश दिया कि निर्धारिती अपने व्यक्तिगत मूल्यांकन में अनुमति प्राप्त फर्मों से अपनी आय अर्जित करने में किए गए खर्च का हकदार है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने तदनुसार मामले को आयकर अधिकारी को फर्मों से अपनी आय अर्जित करने में कथित खर्चों की प्रकृति की जांच करने के लिए भेज दिया तथा उक्त खर्चों को आय से कटौती करने के लिए कहा गया।

आयकर आयुक्त के अनुरोध पर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने आयकर अधिनियम की धारा 66 (1) के तहत उच्च न्यायालय की राय के लिए कानून का निम्नलिखित प्रश्न प्रस्तुत किया है:

"क्या निर्धारिती (जो अपना खुद का स्वतंत्रता व्यवसाय नहीं कर रहा था) द्वारा विभिन्न फर्मों से आय अर्जित करने में किए गए खर्च, जिनमें वह भागीदार था, कटौती के रूप में कानूनी रूप से स्वीकार्य हैं?"

आयकर विभाग की ओर से विद्वान स्थायी वकील ने तर्क दिया कि साझेदारी व्यवसाय से निर्धारिती को जो लाभ आया है, वह उसके पास शुद्ध लाभ के रूप में आया है और इन लाभों के निर्धारिती के पास आने के बाद, आय का अपना हिस्सा प्राप्त करने वाले भागीदार द्वारा किए गए खर्च के कारण आगे कोई कटौती नहीं की जा सकती है। इस प्रस्ताव के समर्थन में विद्वान स्थायी वकील ने मेसर्स ईश्वरदास सुभकरम बनाम आयकर आयुक्त (इनकम टैक्स रिफरेन्स संख्या 38/1952 जो कि 2 जून, 1953 को निर्णित किया गया) में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के बड़े

सम्मान के साथ, हम 1952 के आयकर संदर्भ संख्या 38 में निर्धारित कानून के सिद्धान्त को सही रूप में स्वीकार करने में असमर्थ हैं। एक सामान्य कानूनी सिद्धान्त के रूप में यह कहना सही नहीं है कि एक पंजीकृत फर्म का भागीदार अपनी कुल आय में शामिल लाभ के हिस्से के सापेक्ष किसी भी कटौती का दावा करने का हकदार नहीं है जो हिस्सा उसके लाभ के संबंध में फर्म के मूल्यांकन पर प्राप्त किया गया है। उचित मामले में भागीदार के लिए कटौती का दावा करना स्वीकार होगा बशर्ते वह कर प्राधिकरण को संतुष्ट करे कि इस तरह की कटौती एक आवश्यक व्यय का प्रतिनिधित्व करती है, जो उसे कर के अधीन होने वाले लाभ अर्जित करने में सक्षम बनाने के लिए किया जा रहा है। वर्तमान मामले की परिस्थितियों में, इस बात पर संदेह नहीं किया जा सकता है कि निर्धारिती द्वारा साझेदारी व्यवसाय के अपने हिस्से से अर्जित आय व्यवसाय से प्राप्त आय है और इसलिए यह आयकर अधिनियम की धारा 10 (1) के दायरे में आती है। यह भी स्पष्ट है कि धारा 10 के तहत विधायिका द्वारा विचार किए गए लाभ और नफा वास्तविक लाभ और नफा हैं, और आम तौर पर निर्धारिती के वास्तविक लाभ और नफा का पता वाणिज्यिक फायदा और वाणिज्यिक लेखांकन के दृष्टिकोण से लगाया जाना चाहिए। यदि, निर्धारिती इस मामले में यह स्थापित करने में सक्षम था कि उसके द्वारा दावा किया गया व्यय साझेदारी व्यवसाय से लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से वाणिज्यिक फायदा के मामले के रूप में किया गया था, तो निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 10 (2) (xv) के तहत या आयकर आयुक्त बनाम एस. एम. चिटनाविस मामले में प्रिवी काउंसिल द्वारा निर्धारित सामान्य सिद्धांत के तहत राशि की कटौती का दावा करने का हकदार होगा। हमने जो विचार व्यक्त किया है, वह शांति कुमार नरोत्तम मोरारजी बनाम आयकर आयुक्त मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले और आयकर आयुक्त बनाम न्यू दिग्विजय सिंह जी टिन फैक्ट्री मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के बाद के फैसले से भी स्पष्ट होता है। इसी तरह का विचार इस उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने जितमल भुरामल बनाम आयकर आयुक्त मामले में लिया है।

उपरोक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निर्धारित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हमारी राय है कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस मामले में कानून के बारे में सही दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें कहा गया है कि "निर्धारिती अपने व्यक्तिगत मूल्यांकन में अनुमत फर्मों से अपनी आय अर्जित करने में किए गए खर्च का हकदार था" और मामले को आयकर अधिकारी को खर्चों की प्रकृति की जांच करने के लिए सही भेजा गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे खर्च कितने स्वीकार्य हैं।

इन कारणों से हमारा मानना है कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय को भेजे गए कानून के प्रश्न का उत्तर निर्धारिती के पक्ष में और विभाग के खिलाफ दिया जाना चाहिए। निर्धारिती संदर्भ की लागत का हकदार है। सुनवाई शुल्क रु. 250।

निर्धारिती के पक्ष में प्रश्न का उत्तर दिया गया।

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।